

29-7-24 निगत की गई।

29 7/24

आज यह पत्रावली पेश हुई। वकुलापत्र की
की उपस्थिति नहीं है। वादी व वादी के
वकील का बार-बार आवाज लगाते
हैं किन्तु वे नावफूद रखना के अर्थ
हैं। वादी व वादी वकील नावफूद रखना
के अर्थ रहेन ऐसे पत्रावली अदम हाजिरी
अदम पेंचकी में श्वारिज की जाये है।
पत्रावली जंतल शुभार होकर नम्बर से कर
है। वाक शर्त दाखिल दस्तावे है।



पखण्ड अधिकारी
हरोर (पुतली-बहरोर)